

अतिआवश्यक / अविलम्ब

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- स.3(16)(1)स्था. / मंत्रा / विविध / अभि / 19 / 16820 - 64 दिनांक :- 16.12.19
प्रेषिति:-


समस्त उप निदेशक अभियोजन,
समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषय:- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक / क-2 / 2013 जयपुर दिनांक 06.12.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है से कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक / क-2 / 2013 जयपुर दिनांक 06.12.2019 के दिशा-निर्देशों की पालना में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय में अग्रेषित कर कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र की अविलम्ब पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(एस.एन.व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2)विभाग

क्रमांक-प. 3(1)कार्मिक / क-2 / 2013

जयपुर, दिनांक : 6.12.2019

1. समस्त अतिऽ मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं
जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय—मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लम्बे समय से नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण इन कार्मिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल इन कार्मिकों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के लिए टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने की मांग की जाती रही है। प्रकरण में परीक्षणोपरान्त इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमों में टंकण गति परीक्षा का प्रावधान समाप्त किया जाना उचित एवं नियमानुकूल नहीं है अपितु अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कुछ कार्मिकों के लम्बे समय से टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण मूल वेतन/नियत वेतन पर काम करने की स्थिति के मध्यनजर दो विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित करवाते हुए ऐसे कार्मिकों को दो अतिरिक्त अवसर देते हुए वर्तमान में निर्धारित टंकण गति अंग्रेजी भाषा में 28 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी भाषा में 24 शब्द प्रति मिनिट में एक बारीय शिथिलता देकर अंग्रेजी भाषा में गति 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट किया जाना उचित है ताकि ऐसे सभी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें समस्त वित्तीय परिलाभ दिया जा सके।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत ली जाने वाली टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी), कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2017 के द्वारा भाषा विभाग के स्थान पर जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित आयोजन समिति द्वारा ली जा रही है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.5.2018 के तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दो अवसर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिये जाने हेतु प्रावधान है।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 28.5.2018 के अतिकम्पण में दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा

उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान करते हुए समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि इन कर्मचारियों के लिए जिला स्तर पर 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाएँ आयोजित करावें तथा इन परीक्षाओं में इन कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी किया जावे। दिनांक 31.12.2016 एवं इसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी।


समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्त प्राधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2016 से पूर्व आपके विभागों में नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को उक्त दिये जा रहे दो अवसरों के संबंध में स्वयं के स्तर से अवगत करावें, ताकि उनके द्वारा उक्त अवसरों का लाभ उठाया जा सके और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की जा सके। समस्त जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त विशेष परीक्षाओं का आयोजन किये जाने से पूर्व समस्त विभागों को इस संबंध में अवगत कराया जावे, ताकि इन विशेष टंकण परीक्षाओं में सभी वंचित कर्मचारी सम्मिलित हो सकें।

अतः समस्त जिला कलक्टर्स, विभागाध्यक्षों एवं नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।


(राकेश सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।


उप शासन सचिव

48/2019